

प्रेषक,

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

सेवा में

प्रबन्धक,

सेठ एमोआरो जयपुरिया स्कूल,
गोयल कैम्पस, फैजाबाद रोड,
लखनऊ

पत्रांक-वैसिक / मान्यता / अंग्रेजी मा० / २८६

/ 2017-18 दिनांक १९.४.१७

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण की प्रति एवं मण्डलीय मान्यता समिति के निर्देश से मैं जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2017-18 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री प्राइमरी से उच्च प्राथमिक स्तर (नर्सरी से कक्षा 8 तक) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मूंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:-

1. मान्यता की मूंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात्वर्ती मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई वाध्यता दिवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) तथा नियमावली 11 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमज़ोर वर्ग और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या सरकक को किसी स्कीमिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और व अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - (1) प्रवेश दिये गये किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - (2) किसी नेटवर्कल को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

प्राचार्य महान् शुल्क और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की जवाहर नवोदय शिक्षा पूर्वक समूचे न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

Jawahar Navodaya Shiksha Pravartak Samiti Lucknow, Faizabad
प्राचार्य महान् शुल्क और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की जवाहर नवोदय शिक्षा पूर्वक समूचे न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

7. विद्यालय समुच्चत प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचार्य के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगे।

R. Palkal R. Palkal

Principal

Principal

Seth. M. R. Jaipuria School
Goel Campus, Lucknow

Manager

Seth. M. R. Jaipuria School
Goel Campus, Lucknow

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।
 विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल— 10117 वर्ग मी०
 कुल निर्मित क्षेत्रफल— 5506 वर्ग मी०
 कीडारस्थल का क्षेत्रफल— पर्याप्त है
 कक्षाओं की संख्या— 24
- प्रधानाध्यापक—सहकार्यालय—सहभण्डार के लिए कक्ष— 05
 बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय— उपलब्ध है
 पेयजल सुविधा—उपलब्ध है।
 मिड-डे—मील पकाने के लिए रसोई—उपलब्ध है
 वाधारहित पहुँच—उपलब्ध है।
 अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करण/पुस्तकालय की उपलब्धता—उपलब्ध है।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा—स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटीज द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक—287 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. शासनादेश दिनांक 08.05.2013 में दिए गये समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

प्राचार्य / Principal
 जवाहर नवोदय विद्यालय डाभासेमा
 Jawahar Navodaya Vidyalaya Dabhasema
 जिला फैजाबाद(उ०प्र०) Distt-Faizabad

(प्रवीण मणि त्रिपाठी)
 जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
 लखनऊ

पृ०सं० एवं दिनांक—उक्तावत्

Pin-224133

- प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- जिलाधिकारी, लखनऊ।
 - मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ
 - शिक्षा निदेशक (वैसिक), उ०प्र०, लखनऊ, इलाहाबाद।
 - सचिव, उ०प्र० वैसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
 - जिला समाज/अत्यसंख्यक/पिछडा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, लखनऊ
 - सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
 - कार्यालय गार्ड फैजाबाद

Seth. M. R. Jaipuria School
 Goel Campus, Lucknow

Principal
 Seth. M. R. Jaipuria School
 Goel Campus, Lucknow

Manager
 Seth. M. R. Jaipuria School
 Goel Campus, Lucknow

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
 लखनऊ

Manager
 Seth. M. R. Jaipuria School
 Goel Campus, Lucknow